—: आदेश :—

नक्सल विरोधी अभियान में लगे पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के बीमा हेतु दिनांक–24.03.2017 को आयोजित बैठक में यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी, कोलकाता शाखा के द्वारा बीमा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के फलस्वरूप पुलिस मुख्यालय झारखण्ड राँची को घोर असुविधा का सामना करना पड़ा था साथ ही बीमा कार्य पूर्ण करने हेतु पुनर्निविदा आमंत्रित करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप पुलिस मुख्यालय, झा0, राँची द्वारा यूनाईटेड इण्डिया इन्सोयोरेंस कम्पनी या उसकी किसी शाखा को पुलिस मुख्यालय, झा0 राँची के द्वारा निर्गत किसी भी निविदा में भाग लेने से निषिद्ध करते हुए काली सूची में डाला गया।

उक्त संदर्भ में यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में वाद संख्या– W.P.C. No-2716/2018 दर्ज किया गया है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–10.06.2020 को न्यायादेश पारित किया गया है जो निम्न प्रकार है:–

In view of the aforesaid factual and legal position, the impugned order dated 11.04.2017 contained in memo no. 598 issued under the signature of the respondent no. 5 to the extent of blacklisting the petitioner for an indefinite period is hereby quashed. However, The respondent authorities will be at liberty to proceed afresh against the petitioner for its blacklisting and in such eventuality, they are required to pass a reasoned order in accordance with law after providing due opportunity of hearing to the representative of the petitioner to explain its case. Since the petitioner has not pressed rest of the prayers challenging the other actions taken against it by the respondent authorities in terms with the agreement, there is no need to make any comment on the same. The parties are also at liberty to approach the appropriate court of law for redressal of their other grievances.

तदोपरांत यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी, डिवीजनल ऑफिस लालजी हिरजी रोड राँची के पत्र संख्या–210600: DO राँची–2020/103 दिनांक–19.10.2020 एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में पुलिस मुख्यालय, झा0, राँची का आदेश ज्ञापांक–598/डब्ल्यू0, दिनांक–11.04.2017 को निरस्त किया जाता है।

15.1.21

पुलिस उप महानिरीक्षक(बजट),
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 70 / डब्ल्यू0
06–01–अ0–2017

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।
दिनांक 15/01/21

प्रतिलिपि :–

1. सी0एम0डी0 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, प्रधान कार्यालय–24 व्हाइटस रोड, चेन्नई(तमिलनाडू) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मंडल प्रबंधक, यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मंडलीय कार्यालय, व्यापार भवन, लालजी हिरजी रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक प्रबंधक, यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मंडल कार्यालय–2 हिमालया हाउस (6वीं मंजिल) 38बी0 चौरंगी रोड, कोलकता, 700071 को सूचनार्थ।
4. एन0जी0ओ0 प्रभारी, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, टी0एन0एस0, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ।
6. प्रभारी, डाटा सेन्टर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

15.1.21

पुलिस उप–महानिरीक्षक(बजट),
झारखण्ड, राँची।